न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–68/2025

1. बेअन्त सिंह पुत्र जीतसिंह जाति रामगढ़िया निवासी वार्ड नं. 12 तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. गोरीशंकर पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी चक 6 एम. एस. डी. ढ़ाणी मालासर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राममूर्ति पुत्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी चक 6 एम. एस. डी. ढ़ाणी मालासर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

–रेस्पोंडेन्टगण

4. बसन्त सिंह पुत्र जीतसिंह जाति रामगढ़िया निवासी वार्ड नं. 12 तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उपस्थित– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः–05.03.2026

अपीलांट बेअन्त सिंह पुत्र जीतसिंह जाति रामगढ़िया निवासी वार्ड नं. 12 तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़ द्वारा जाकर चक 6 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के नामान्तरण क्रमांक 335 दिनांक 05.08.2022 को निरस्त करनें बाबत अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

1. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता [illegible] चक 6 केडब्ल्यूडी के प0 नं0 159/397 (9) के [illegible] है0, 4/2 की 0.0402 [illegible] 4 की 0.253 है0, 11/1 की 0.126 है0, 14 की 0.2[illegible] है0, 15 की 0.035 है0, 16/1 की 0.054 है0, 17/1 की 0.053 है0 कुल 1.2342 है0 भूमि में से 4597 /12342 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसका वह खातेदार काश्तकार था। उक्त भूमि में से अपने हिस्से व कब्जा शुदा 0.04459 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (हनुमानगढ़)

14.07.2017 को रामदयाल पुत्र हेतराम साकिन किशनपुरा उतरादा को बेचान कर दी तथा कब्जा क्रेता को सौंप दिया तथा गवाहान के समक्ष प्रतिफल प्राप्त कर लिया। रामदयाल ने उक्त भूमि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या–5 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07.01.2022 को विक्रय करके कब्जा सौंप दिया। बाद बैयनामा उक्त भूमि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के कब्जा में चली आ रही है, जिसका वह मालिक है।

2. खातेदार पृथ्वीराज फौत हो चुका है, जिसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 है। अपीलान्ट ने मुताबिक बैयनामा उक्त भूमि अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने बाबत पटवारी हल्का से काफी बार निवेदन किया लेकिन पटवारी हल्का ने उक्त भूमि का नामान्तरण हमारे नाम दर्ज नहीं किया। इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट ने फर्जी व तथ्य छिपाकर उक्त भूमि अपने नाम विरासतन दर्ज करवाकर उक्त भूमि को आगे विक्रय कर दिया। जिससे अपीलान्ट के हितों का हनन होता है तथा अपीलान्ट के साथ ना इन्साफी होती है तथा नामान्तरण निम्न आधारों पर निरस्त योग्य है।

(क) मातहत अदालत तहसीलदार रावतसर ने उक्त नामान्तरण दर्ज करते वक्त अपना माईण्ड अप्लाई नहीं किया तथा दस्तावेजों की जांच पड़ताल नहीं की।

(ख) उक्त निर्णय मनमाना व स्वैच्छाचारिता पूर्ण है तथा न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

(ग) उक्त भूमि आबादी के चिपते हुए है तथा छोटे–छोटे टुकड़ो में प्लॉट बनाकर भूमि अलग–अलग लोगों को विक्रय कर दी गई है, फिर भी पटवारी व तहसीलदार ने बिना जांच किये उक्त नामान्तरण दर्ज करने की भारी भूल की है, इसलिए यह नामान्तरण निरस्त योग्य है।

(घ) खातेदार पृथ्वीराज ने उक्त भूमि अपने जीवनकाल में ही जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा फरोख्त कर दी तथा उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के कब्जा में है, फिर भी तथ्य छिपाकर तहसीलदार से मिलीभगत करके उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण अपने नाम करवा लिया, जो अपीलान्ट के हितो के मुकाबले शुन्य है तथा निरस्त योग्य है।

अपर जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

(ड़) उक्त नामान्तरण के आधार पर प्रशासन को ... करके उक्त भूमि को आगे भी अन्य लोगो को फरोख्त कर रखा है। जिससे झगड़ा बढ़ेगा तथा लोगो के साथ धोखा होगा, इसलिए उक्त नामान्तरण निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम मुताबिक बैयनामा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण खाले जाने का आदेश पारित किया जावे ताकि न्याय मिल सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(च) अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम बैयनामा तहसीलदार राजस्व रावतसर ने सारे तथ्य की जांच पड़ताल करके तथा उचित स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर किया गया है इसलिए पहले तो विक्रयशुदा भूमि का विरासतन नामान्तरण खोलना जन्मजात शुन्य है तथा अपीलान्ट के हितो के मुकाबले शुन्य है, जिसे निरस्त किया जाकर तहसीलदार रावतसर को लौटाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जाकर मुताबिक बैयनामा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम किया जावे।

(छ) खातेदार पृथ्वीराज व उसके परिवार ने उक्त भूमि बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार भूमि आबादी के नजदीक होने के कारण आवास व व्यवसाय हेतु उक्त भूमि छोटे–छोटे टुकड़ो में प्लॉट के रूप में लोगो को विक्रय कर दी तथा कब्जा भी सौंप दिया लेकिन पटवारी हल्का ने यह कहकर की भूमि टुकड़ों में है। इसलिए नामान्तरण दर्ज नहीं हो सकता के कारण भूमि पृथ्वीराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उसकी मृत्यु के बाद तथ्य छिपाकर अपने नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करवा लिया और अब यह भूमि लोगो को गुमराह करके पुनः विक्रय कर रहा है, इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 335 दिनांक 05.08.2022 निरस्त किया जावे।

(ज) उक्त अपीलकृत आदेश दिनांक 05.08.2022 का है जिसका पता दिनांक 10.08.2025 को रेस्पोडेन्ट व अन्य लोगो को द्वारा अपीलान्ट के के खरीदशुदा भूमि पर कब्जा करना चाहते थे जब हमने पटवारी हल्का व तहसीलदार को प्रार्थना पत्र लगाकर झूठ रोकने बाबत बताया तथा भूमि हमारी खरीदशुदा होना बताया तो पता चला कि यह भूमि हमारे नाम नहीं है तथा हमारे बैयनामा का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है, तब बिना किसी देरी के समस्त नकलें निकलवाकर फीस की व्यवस्था करके तथा जानकारी लेकर यह अपील पेश कर रहे है इसलिए अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है।

(झ) अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश करके निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर 6केडब्ल्यूडी के नामान्तरण क्रमांक 335 दिनांक 05.08.2022 निरस्त किया जाकर मुताबिक बैयनामा अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट के नाम करने का [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होनें पर दर्ज [illegible] नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 रजिस्ट्रर्ड डाक से [illegible]ल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन नामान्तरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की मूल प्रति तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–04 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तर्क किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पृथ्वीराज पुत्र मनोहर लाल के नाम चक 6 केडब्ल्यूडी के प0 नं0 159/397 (9) के किला नं0 1 0.253है0, कि0 नं0 4/2 0.0402है0 कि0नं0 7 की 0.1770है0 कि0नं0 10 की 0.253है0 कि0नं0 11/1 की 0.126है0 कि0नं0 14 की 0.240है0 कि0नं0 15 की 0.0380 कि0नं0 16/1 की 0.0540है0 कि0 नं0 17/1 की 0.0530है0 कुल 1.2342है0 भूमि का खातेदार काश्तकार था। जिसक बैयनामा दिनांक 14.07.2017 को रामदयाल पुत्र हेतराम साकिन किशनपुरा उतराधा को किया गया। रामदयाल पुत्र हेतराम द्वारा उक्त भूमि का बैयनामा बेअन्तसिंह पुत्र जीतसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं0 12 तहसील रावतसर एंव बसन्तसिंह पुत्र जीतसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं0 12 तहसील रावतसर को दिनांक 07.01.2022 को किया गया। लेकिन पृथ्वीराज पुत्र मनोहरलाल के फौत होनें पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथ्वीराज के वारिसान के नाम विरासतन नामान्तरण संख्या 335 दिनांक 05.08.2022 को तस्दीक किया गया लेकिन रजिस्ट्रर्ड बैयनामा के आधार पर नामान्तरण तस्दीक न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन नामान्तरण तस्दीक किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 335 दिनांक 05.08.2022 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रर्ड बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज न कर विरासतन नामान्तरण दर्ज त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 335 दिनांक 05.08.2022 को अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार रावतसर को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का मौका देकर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक [illegible] को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)